भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3554
(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं

3554. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः
श्री देवेश शाक्यः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल एवं गैस के सार्वजनिक उपक्रमों-ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल और गेल इंडिया - ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजनाएँ शुरू की हैं;
(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार स्वीकृत और पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उपरोक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण रखते हैं;
(घ) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रत्येक परियोजना पर व्यय की गई राशि, परियोजनाओं के लिए चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम और परियोजनाओं के प्रकार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा परियोजनाओं के चयन में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल सीएसआर से संबंधित राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, विकास क्षेत्र-वार और कंपनीवार सहित सभी आंकडे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। मंत्रालय द्वारा परियोजना-वार स्वीकृत निधियों के आंकडे विशिष्ट रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों में ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल और गेल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक I(क) से I(च) में संलग्न है।

जारी...2/

(ग): सीएसआर कंपनी के बोर्ड द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया जाना अपेक्षित है। जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट है, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर करने की आवश्यकता होती है।

(घ): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक- II में संलग्न है।

(ङ) और (च): जी, हां। सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के कानूनी ढांचे के माध्यम से सीएसआर अधिदेशित कंपनियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मौजूदा कानूनी ढांचे में सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति तैयार करने, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और क्षेत्र की पहचान जिसमें परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा का प्रावधान है। सीएसआर कानूनी ढांचे के तहत, परियोजनाओं का चयन कंपनी के बोर्ड के दायरे में आता है। सरकार केंद्रीकृत डेटाबेस में डेटा या इस के बारे में जानकारी नहीं रखती है।

*****

अनुलग्नक-I (क)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक ओएनजीसी द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितीय वर्ष 2019-20	वितीय वर्ष 2020-21	वितीय वर्ष 2021-22	वितीय वर्ष 2022-23	वितीय वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	10.57	2.88	4.42	2.89	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.18	-	--	-	-
3.	असम	58.24	10.79	92.19	120.77	67.43
4.	बिहार	2.01	-	-	-	-
5.	दिल्ली	6.43	4.38	133.85	233.43	448.50
6.	गुजरात	5.13	19.72	27.86	29.05	8.20
7.	हरियाणा	-	0.08	0.63	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	4.11	-	1.04	0.95	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-	0.33	-	-	-
10.	झारखंड	5.00	-	-	5.19	21.51
11.	केरल	-	-	1.50	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	0.85	-
13.	महाराष्ट्र	25.30	8.54	12.82	29.18	-
14.	ओडिशा	23.00	1.62	28.54	-	1.87
15.	पुडुचेरी	-	-	-	0.34	-
16.	तमिलनाडु	-	-	-	1.64	3.32
17.	त्रिपुरा	5.00	3.17	5.60	5.51	-
18.	उत्तर प्रदेश	4.00		36.93	5.18	4.14
19.	उत्तराखंड	1.32	8.11	20.17	16.50	15.62
20.	पश्चिम बंगाल	8.68	-	0.63	2.20	1.83
21.	अन्य केंद्रीकृत फंड	-	300.00	70.00	-	40.00
22.	पैन इंडिया*	422.10	3.80	-	-	-
23.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	-	168.04	-	-	-
कुल		582.07	531.45	436.19	453.68	612.42

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक-I (ख)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक आईओसीएल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	0.16	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	-	-	1.62	3.75	19.21
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.72	1.48	0.73
4.	असम	15.34	10.39	29.22	31.34	61.93
5.	बिहार	5.13	3.20	3.69	5.67	21.25
6.	चंडीगढ़	-	-	-	0.56	0.16
7.	छत्तीसगढ़	-	-	1.30	6.37	1.64
8.	दिल्ली	2.05	-	19.45	33.96	10.04
9.	गोवा	-	-	-	1.29	8.02
10.	गुजरात	-	-	6.04	6.34	13.76
11.	हरियाणा	1.22	2.16	7.27	2.68	17.90
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	1.59	0.61	0.53
13.	जम्मू और कश्मीर	6.66	-	2.74	4.80	3.72
14.	झारखंड	-	-	1.40	1.15	5.18
15.	कर्नाटक	-	-	1.68	0.92	5.03
16.	केरल	-	-	3.58	3.69	5.56
17.	लेह और लद्दाख	-	-	1.31	0.89	4.44
18.	मध्य प्रदेश	-	0.05	7.93	11.83	29.04
19.	महाराष्ट्र	-	-	26.00	32.17	36.82
20.	मणिपुर	-	-	0.48	-	-
21.	मेघालय	-	-	0.17	0.17	0.62
22.	नागालैंड	-	-	-	-	0.40
23.	ओडिशा	187.99	40.37	39.48	19.74	10.74
24.	पुडुचेरी	-	-	-	0.15	-
25.	पंजाब	-	-	1.17	1.71	4.34
26.	राजस्थान	0.78	0.38	11.82	5.73	14.34
27.	सिक्किम	-	-	0.28	0.59	0.89
28.	तमिलनाडु	-	-	5.39	5.70	36.85
29.	तेलंगाना	-	-	1.07	1.96	21.88
30.	त्रिपुरा	-	-	3.57	5.28	1.48
31.	उत्तर प्रदेश	11.97	10.39	22.99	38.59	63.51
32.	उत्तराखंड	17.35		0.72	11.68	15.74
33.	पश्चिम बंगाल	8.03	0.69	37.41	7.58	11.86
34.	अन्य केंद्रीकृत फंड	-	225.00	40.00	-	-
35.	पैन इंडिया*	261.97	152.46	3.78	2.89	8.11
	कुल	518.49	445.09	284.03	251.23	435.70

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक-I (ग)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक बीपीसीएल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	-	0.50	0.50	-	0.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.52	-	-
3.	असम	12.15	2.43	1.72	1.47	0.58
4.	बिहार	-	-	-	0.77	1.29
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	1.76	-
6.	दिल्ली	-	1.88	52.60	-	3.77
7.	गोवा	-	-	-	-	0.62
8.	गुजरात	0.09	0.50	1.69	1.18	-
9.	हरियाणा	-	-	0.55	--	0.24
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	0.02
11.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	0.83	0.14
12.	झारखंड	-	-	-	-	-
13.	कर्नाटक	9.64	-	0.85	1.14	1.00
14.	केरल	33.64	3.77	2.05	2.72	6.52
15.	लेह और लद्दाख	-	-	-	-	-
16.	मध्य प्रदेश	2.84	3.40	-	44.43	8.92
17.	महाराष्ट्र	13.94	13.61	10.73	4.86	46.94
18.	मणिपुर	4.16	-	-	-	0.10
19.	ओडिशा	27.99	2.54	3.38	-	0.16
20.	पंजाब	0.55	-	-	-	1.90
21.	राजस्थान	-	-	-	-	0.88
22.	तमिलनाडु	13.91	11.29	1.27	1.95	3.94
23.	तेलंगाना	2.51	-	0.74	0.90	0.33
24.	त्रिपुरा	1.47	-	-	-	-
25.	उत्तर प्रदेश	4.00	1.04	2.67	3.77	10.31
26.	उत्तराखंड	1.37	-	-	4.13	2.20
27.	पश्चिम बंगाल	4.30	3.34	0.70	-	0.15
28.	अन्य केंद्रीकृत फंड	153.61	3.87	-	-	1.56
29.	पैन इंडिया*	59.38	10.85	44.00	37.68	22.39
	कुल	345.55	59.02	123.99	107.57	114.45

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक-I (घ)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक एचपीसीएल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	-	0.92	8.66	6.61	7.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	0.02
3.	असम	-	0.57	0.50	0.60	-
4.	बिहार	-	-	-	0.22	1.61
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	0.14	0.03
6.	दिल्ली	-	0.20	9.84	23.69	1.65
7.	गोवा	-	-	-	-	0.75
8.	गुजरात	-	0.05	3.08	3.58	4.66
9.	हरियाणा	-	-	0.50	1.03	0.15
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	0.78	-
11.	जम्मू और कश्मीर	-	0.27	1.68	1.86	2.06
12.	झारखंड	-	-	0.35	-	0.89
13.	कर्नाटक	-	0.03	2.52	0.80	0.64
14.	केरल	-	0.54	1.16	0.37	0.06
15.	लेह और लद्दाख	-	-	1.29	0.50	1.57
16.	मध्य प्रदेश	-	-	0.41	0.33	0.78
17.	महाराष्ट्र	0.88	1.87	23.63	4.99	26.87
18.	मणिपुर	-	-	0.10	0.07	0.25
19.	मिजोरम	-	-	0.15	-	0.18
20.	नागालैंड	-	-	-	0.21	-
21.	ओडिशा	-	1.08	4.32	4.12	8.27
22.	पंजाब	-	0.45	2.76	0.67	0.13
23.	राजस्थान	-	0.03	0.63	11.53	1.20
24.	तमिलनाडु	-	0.90	0.50	3.21	2.15
25.	तेलंगाना	-	-	0.91	1.42	4.18
26.	त्रिपुरा	-	-	0.05	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	-	0.50	5.50	5.61	5.43
28.	उत्तराखंड	-	4.54	7.65	9.78	0.59
29.	पश्चिम बंगाल	-	0.15	1.16	0.16	0.61
30.	अन्य केंद्रीकृत फंड	36.42	120.10	45.68	-	-
31.	पैन इंडिया*	144.94	9.49	-	10.82	-
कुल		182.24	141.69	123.01	93.09	72.57

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- I (ङ)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक ओआईएल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	3.26	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.37	1.55	0.26	-	-
3.	असम	73.97	34.51	25.93	61.15	75.40
4.	दिल्ली	-	-	-	5.18	-
5.	गुजरात	-	-	-	-	-
6.	राजस्थान	0.95	-	-	-	-
7.	उत्तराखंड	-	-	-	-	8.52
8.	अन्य केंद्रीकृत फंड	15.50	30.21	65.56	-	-
9.	पैन इंडिया*	27.36	38.98	71.98	31.87	38.87
कुल		125.41	105.25	163.74	98.21	122.80

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- I (च)

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक गेल द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	-	11.47	5.26	3.51	4.41
2.	असम	-	6.54	6.64	1.18	4.62
3.	बिहार	-	0.16	0.15	0.95	3.23
4.	चंडीगढ़	-	-	0.29	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	0.10	-	5.81
6.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	0.30
7.	दिल्ली	-	2.20	34.68	46.92	1.24
8.	गुजरात	-	0.48	2.74	0.79	0.55
9.	हरियाणा	-	0.50	0.38	0.65	3.35
10.	हिमाचल प्रदेश	-	0.03	-	-	0.63
11.	झारखंड	-	3.34	0.44	1.13	4.04
12.	कर्नाटक	-	6.82	0.27	0.22	-
13.	केरल	-	1.03	2.76	0.27	2.22
14.	मध्य प्रदेश	-	5.39	4.15	7.76	15.53
15.	महाराष्ट्र	-	0.08	0.17	2.01	7.95
16.	मणिपुर	-	0.37	0.19	-	0.77
17.	ओडिशा	-	17.49	20.42	6.59	4.00
18.	पुडुचेरी	-	0.02		0.22	0.14
19.	पंजाब	-	0.36	0.21	0.12	0.25
20.	राजस्थान	-	0.20	1.64	0.50	4.39
21.	तमिलनाडु	-	0.57	0.12	0.53	0.03
22.	तेलंगाना	-	5.41	2.16	0.08	7.23
23.	त्रिपुरा	-	0.36	0.05	-	0.37
24.	उत्तर प्रदेश	-	7.25	31.11	10.99	70.05
25.	उत्तराखंड	-	3.73	6.40	6.75	8.37
26.	पश्चिम बंगाल	-	-	0.70	1.30	2.98
27.	अन्य केंद्रीकृत फंड	-	50.00	65.00	-	-
28.	पैन इंडिया*	122.73	23.14	10.43	5.63	15.22
कुल		122.73	146.95	196.45	98.12	167.68

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- II

लोक सभा में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (घ) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पीएसयू द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार	0.08	1.28	0.64	1.04	1.18
2.	आंध्र प्रदेश	36.04	40.68	52.34	52.32	62.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.68	3.54	11.25	7.93	15.51
4.	असम	224.21	93.18	231.81	298.05	316.07
5.	बिहार	8.56	7.51	56.48	110.29	91.13
6.	चंडीगढ़	0.09	-	0.29	0.59	0.16
7.	छत्तीसगढ़	109.06	186.56	166.01	161.24	109.91
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.26	1.13	1.63	1.42	6.10
9.	दिल्ली	209.05	45.34	353.33	448.95	683.27
10.	गोवा	5.49	5.88	4.22	4.75	19.83
11.	गुजरात	99.31	101.12	131.40	121.88	78.26
12.	हरियाणा	30.38	15.37	58.08	38.61	55.22
13.	हिमाचल प्रदेश	39.10	42.04	60.71	55.99	55.68
14.	जम्मू और कश्मीर	10.53	21.68	24.69	25.87	45.11
15.	झारखंड	92.14	94.87	67.45	114.81	142.32
16.	कर्नाटक	216.27	136.34	193.36	167.02	167.81
17.	केरल	56.17	28.99	38.51	54.47	48.57
18.	लक्षद्वीप	-	-	0.53	-	-
19.	लेह और लद्दाख	-	-	9.54	5.09	11.58
20.	मध्य प्रदेश	42.27	134.75	148.22	206.98	240.08
21.	महाराष्ट्र	253.55	214.07	324.86	308.71	401.57
22.	मणिपुर	4.36	4.10	8.97	12.93	9.44
23.	मेघालय	9.09	2.00	1.68	1.78	1.36
24.	मिजोरम	-	0.02	5.09	9.03	2.92
25.	नागालैंड	0.63	0.26	4.25	6.33	6.55
26.	ओडिशा	523.08	318.78	397.61	396.65	486.38
27.	पुडुचेरी	-	0.02	0.86	2.26	8.32
28.	पंजाब	2.77	2.84	7.08	12.59	12.88
29.	राजस्थान	23.00	17.12	52.25	58.14	49.56
30.	सिक्किम	1.05	8.77	18.77	23.70	24.72
31.	तमिलनाडु	128.13	76.88	74.65	102.65	173.74
32.	तेलंगाना	51.67	84.38	94.90	81.78	85.71
33.	त्रिपुरा	7.49	5.81	10.95	14.44	3.21
34.	उत्तर प्रदेश	74.71	124.75	213.91	229.93	349.34
35.	उत्तराखंड	56.73	50.69	84.49	116.03	144.15
36.	पश्चिम बंगाल	41.90	64.95	100.45	138.44	118.11
37.	अन्य केंद्रीकृत फंड	459.56	966.21	869.43	403.58	319.98
38.	पैन इंडिया*	2,479.12	1,416.34	526.47	315.80	425.03
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	7.57	168.04	-	-	-
कुल		5,310.12	4,486.27	4,407.17	4,112.08	4,773.17

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****